छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /   / वि.स. / स्था. / 2012   रायपुर, दिनांक   / / 2012

// कार्यालय–सूचना //

आदेशानुसार, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 52/2012 परिपत्र क्रमांक 213/एफ–1000903/12/वित्त/नियम/चार रायपुर दिनांक 13.07.2012 के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय में कार्यरत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाहय रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में वर्तमान में लागू चिकित्सा भत्ता की दर में संशोधन करते हुए 100/– के स्थान पर 200/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया है तथा सुविधा के लिए एक बार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30.09.2012 तक छूट दी जाती है । पुनरीक्षित विकल्प के आधार पर केवल विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् उद्‌भुत स्वत्वों का ही निराकरण किया जाएगा, उसके पूर्व की अवधि के दावे जो कभी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हों, पूर्व विकल्प के आधार पर ही निराकृत होंगे । चिकित्सा भत्ता की नई दरें इस ज्ञापन के जारी होने की तिथि से लागू मानी जावेंगी ।

अतः समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जो कर्मचारी वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के स्थान पर 200/– प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का विकल्प देना चाहते हैं अथवा 200/– प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते हैं वे स्थापना शाखा से निर्धारित विकल्प का प्रारूप प्राप्त कर दिनांक 30.09.2012 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेश से,

हस्ता०/–

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ. क्र./ 10522 / वि.स. / स्था. / 2012   रायपुर, दिनांक 07/8/2012

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निज सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा, को मान० उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. निज सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

LUCKY/KARYALAYA SUCHNA/47

वित्तीय समिति अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2015 रायपुर, दिनांक /2015

//कार्यालय -सूचना//

आदेशानुसार, छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 15/2015 परिपत्र क्रमांक 145/एफ 2015-21-00650/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 14.05.2015 के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय में कार्यरत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एक बार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31.07.2015 तक छूट दी जाती है । उक्त पुनरीक्षित विकल्प का लाभ विकल्प देने की तिथि से प्राप्त होगा एवं पूर्व तिथि के दावों पर इस विकल्प के आधार पर कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

यह सुविधा वैकल्पिक है ।

अतः समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जो कर्मचारी वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के स्थान पर 200/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का विकल्प देना चाहते हैं अथवा 200/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते है वे स्थापना शाखा से निर्धारित विकल्प का प्रारूप प्राप्त कर दिनांक 31.07.2015 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेश से,

sd

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 799 /वि.स./स्था./2015 रायपुर, दिनांक 01/06 / 2015

प्रतिलिपि

01. माननीय अध्यक्ष के सचिव, छ.ग.विधान सभा, को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02 मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
04. समस्त शाखा प्रभारी / कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ ।
05. सर्वर कक्ष

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा